न्यायालयः जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश वैशाली, हाजीपुर।

जमानत आवेदन सं0–785 / 2026
सराय थाना कांड सं0–171 / 2026
धारा– 126(2), 115(2), 109(1), 351(2), 351(3) of B.N.S. & 27 Arms Act.

Web Copy Not Official

01.07.2026 दिनांक 24.05.2026 से प्रस्तुत वाद मे काराधीन अभियुक्त विशाल कुमार की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन पत्र दाखिल किया गया। प्रस्तुत जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक, वैशाली, हाजीपुर को प्राप्त है। प्रस्तुत वाद में उभय पक्षों को सुना।

संक्षेप में प्रस्तुत वाद की प्राथमिकी इस प्रकार से है कि सूचक सुधिर कुमार द्वारा लिखित आवेदन थानाध्यक्ष सराय थाना को इस आशय का दिया गया कि "दिनांक 19.05.2026 को मरिचा चौक गया था गाड़ी ओवरटेकिंग के बात को लेकर रूपेश कुमार, विष्णू कुमार मेरे साथ मारपीट करने लगा एवं पिस्टल के बट से मारकर मेरा माथा फोड़ दिये थे जिसका ईलाज मैने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भगवानपुर मे करवाया था। इसी विवाद मे आज दिनांक 23.05.2026 को जब मै घर के जरूरी समान लेकर मरिचा बजार से पैदल अपने घर जा रहा था कि एक सिल्वर कलर कि आर.15 मोटरसाईकिल बी.आर.31ए.जेड. 2839 पर सवार होकर रूपेश कुमार, विष्णू कुमार, विशाल कुमार आये तथा मुझे पकड़ने का प्रयास किये परंतु मै उनसे बचकर भागने का प्रयास कर रहा था कि रूपेश कुमार मुझे जान मारने के नियत से देसी पिस्टल से मेरे उपर तावर तोड़ दो फायर किया परंतु भागयवश गोली मुझे नही लगी, गोली फायर करने के आवाज सुनकर आस पास के काफी लोग जुट तो उपरोक्त तीनो अपनी आर.15 मोटरसाईकिल छोड़ कर भाग गये।"

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि आवेदक द्वारा पूर्व मे इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय मे कोई जमानत आवेदन प्रस्तुत प्राथमिकी के संदर्भ मे दाखिल नही किया है। आवेदक का कोई पूर्व अपराधिक इतिहास नहीं है।

दिनांक 24.05.2026 से आवेदक काराधीन है। आवेदक निर्दोष है। आवेदक आई.टी.आई. का छात्र है तथा उसके उज्जवल भविष्य को बर्बाद करने के उद्देशय से उसके दुश्मनो द्वारा झुठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। आवेदक के पास से कोई भी अवैध वस्तु बरामद भी नही किया गया है। आवेदक लंबे समय से काराधीन है। आगे विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदक को जमानत देने हेतु अनुरोध किया गया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक, वैशाली, हाजीपुर द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

जमानत आवेदन पर उभय पक्षो को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है एवं आवेदक के विरूद्ध प्रत्यक्ष रूप से आरोप है कि जब सूचक को गोली मारी गयी थी तो यह आवेदक अभियुक्त भी उन्ही सह अभियुक्तो के साथ बाईक पर सवार था। घटना स्थल से न केवल घटना मे प्रयुक्त बाईक बरामद की गयी है बल्कि चलाई हुयी गोली का अग्र भाग भी घटना स्थल से बरामद किया गया है। मामला अभी अनुसंधानरत है। अतः प्रत्यक्ष संलिप्तता एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टगत रखते हुये आवेदक की ओर से दाखिल प्रस्तुत जमानत आवेदन अस्वीकृत किया जाता हैं।

-Sd-
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–
–सह–विशेष न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

पत्रांक– दिनांक–

अग्रसारितः

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–
–सह–विशेष न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

Web Copy not Official

Date of Judgment/Order	01-07-2026
Date of Reserving Judgment/Order	01-07-2026
Uploading Date	02-07-2026
Uploaded by	Pankaj Kumar, D.W.T.C., Vaishali.

Web Copy not Official